

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

कमांक / 255 / 243 / आउशि / अतिथि व्याख्याता / 2014
प्रति

रायपुर, दिनांक 18.07.2014

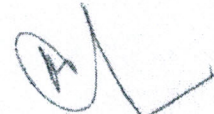
प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2014-15 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था विषयक ।
संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक 03.07.2014

—00—

प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय पदों के रिक्त होने के कारण पूर्व वर्षों की भांति शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जाये । यह व्यवस्था केवल रिक्त पदों के विरुद्ध वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्कलोड के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों में होगी ।

1. अतिथि व्याख्याताओं की व्याख्यान व्यवस्था केवल स्वीकृत सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध की जाएगी । वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण छात्र संख्या एवं वर्कलोड के अनुसार किया जायेगा, वर्कलोक यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित 24 कालखंड के आधार पर होगा ।
2. अतिथि व्याख्याताओं का चयन कालेज के स्तर पर एक समिति द्वारा किया जायेगा । आवेदन संबंधित महाविद्यालय में प्राप्त किये जावेगें । इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में गुणानुक्रम के आधार पर प्रविष्ट किया जाएगा तथा आवेदकों को पावती दी जाएगी । पावती में संलग्नकों की सूची एवं संख्याक का पूर्ण विवरण होगा । यदि आवेदन में कोई कॉलम / जानकारी अधूरी रह जाता है, तो आवेदक से उसकी पूर्ति करवाई जायेगी तथा यदि आवेदक पूर्ति नहीं करता है, तो पावती में उसका अधूरे कॉलम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जाएगा । प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करने एवं चयन करने का कार्य करेगी । समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य तथा कालेज के संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य होंगें ।
3. अतिथि व्याख्याताओं की चयन की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ की जाये । किसी भी प्रकार की त्रुटि व लिये चयन समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।
4. चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी एवं यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जायेगा । चयन हेतु वरीयता कम निम्नानुसार रहेगा :-
श्रेणी- 1 संबंधित विषय में नेट / स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी. धारक



श्रेणी- 2 संबंधित विषय में एम.फिल.

श्रेणी- 3 यू.जी.सी.के मापदंड अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त ।

श्रेणी- 4 यदि स्नातकोत्तर विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिये माना जायेगा । उदाहरणार्थ संगीत में वादन के विद्यार्थियों की गायन में अर्हता नहीं मानी जायेगी । इसी प्रकार आधुनिक इतिहास के विद्यार्थियों को मध्यकालीन अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में अर्ह नहीं माना जायेगा ।

इसी प्रकार प्राणीशास्त्र तथा वनस्पतिशास्त्र के लिए इस विषय को पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस विषय के योग्य अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में ही पर्यावरण अथवा अन्य संबंधित विषयों के अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा ।

श्रेणी -1 के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा । इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी-2 के अतिथि व्याख्याताओं के नामों पर विचार किया जाएगा । श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी तीन के उच्चतम योग्यता वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जायेगा ।

5 इस प्रकार तैयार की गई विषयवार सूची को कालेज की सूचना पटल पर अनिवार्यतः चरपा किया जायेगा जिसमें आवेदकों के निर्धारित परीक्षा में अंक तथा अन्य विशेषतायें जैसे - एन.एस.एस., एन.सी.सी. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने का प्रमाण-पत्र भी दर्शाया जायेगा ।

6. अतिथि व्याख्याताओं की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिये चयनित उम्मीदवार से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाये कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में नहीं है । अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा । शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा । अतिथि व्याख्याता किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने का आवेदन दे तो सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय निर्धारित कालखंडों के पश्चात् ही उक्त अवैतनिक कार्य कर सकेंगे । सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं दी जाना चाहिए क्योंकि कक्षाओं में अध्यापन के लिये अतिथि व्याख्याताओं को तैयारी करने के लिये समय की आवश्यकता होती है ।

प्रथम आमंत्रण जारी करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को विधिवत् सूचित करने के पश्चात् (अतिथि व्याख्याता) पांच दिवस में ज्वाइन नहीं करता है तो महाविद्यालय में उपलब्ध मेरिट सूची के अनुसार क्रमशः पांच दिवस का अवसर प्रदान करते हुए अन्य अतिथि व्याख्याताओं को समय-सीमा में आमंत्रित करना सुनिश्चित करें ।

7. चयन हेतु निर्धारित मापदंड—

गणना इस हेतु निम्नानुसार की जावे :-

(एक) मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा :-	
(क) पी.एच.डी. तथा नेट/ सेट एवं एम.फिल. के लिए	50 मेरिट अंक
(ख) पी. एच.डी. के लिए	25 मेरिट अंक
(ग) नेट/ सेट के लिए	20 मेरिट अंक
(घ) एम. फिल.	05 मेरिट अंक
(दो) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिये (अधिकतम)–	50 मेरिट अंक

(55 के लिये 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिए 1 अंक दिया जायेगा ।)

अन्य शर्तें -

अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत " लोक सेवक" नहीं माने जाते हैं ।

- प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा ।
- अतिथि व्याख्याता को आमंत्रण पत्र जारी किया जायेगा । यह आमंत्रण-पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जायेगा एवं दूरभाष पर भी सूचित किया जाये । वरीयता में प्रथम उम्मीदवार के उपस्थित न होने पर पाँच दिन इंतजार करने के बाद ही द्वितीय वरीयता प्राप्त उम्मीदवार को आमंत्रण पत्र दिया जायेगा । रजिस्टर्ड पत्रों की पावती प्राचार्य अपनी अभिरक्षा में रखेंगे ताकि आवश्यक होने पर उन्हें संचालनालय में बुलाया जा सके ।
- मानदेय —(अ) शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक अतिथि एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड ले सकेंगे । इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जायेगा ।
- ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक-पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिये जारी किए जाए । प्रति व्याख्यान हेतु मानदेय दर एवं प्रति व्याख्यान की अवधि 40/45 मिनट का उल्लेख आमंत्रण पत्र में अवश्य किया जाए ।
- यह विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा जिसमें अर्हताओं, आवेदन पत्र का प्रारूप, मानदेय की जानकारी का विवरण होगा । महाविद्यालयवार तथा विषयवार अतिथि व्याख्याता की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड से विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदकगण निर्धारित किये गये कैलेंडर अनुसार अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे । चयनितों की सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड पर तत्काल किया जावे ।
- वार्षिक पद्धति में अतिथि व्याख्याताओं की सेवा केवल अध्यापन कार्य (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) के सम्पादन हेतु प्राचार्य आवश्यकतानुसार रख सकेंगे । जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक विषयों में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अतिथि व्याख्याता प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने तक कार्य कर सकते हैं ।

14. सेमेस्टर पद्धति में अतिथि व्याख्याताओं की सेवा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक शिक्षा हेतु) को 30 जून 2015 तक केवल अध्यापन कार्य के सम्पादन हेतु प्राचार्य आवश्यकतानुसार रख सकेंगे ।
15. अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय का भुगतान नियमित योजना में वेतन भत्तों में मिला दिया जाएगा तथा उक्त व्यय उपलब्ध बजट के अन्तर्गत किया जाएगा ।
16. इस योजना को वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2014-38-00323/बी-3/चार, दिनांक 01.07.2014 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18.07.2014

पृ.क्रमांक/ 256 / 243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा के निज सहायक छ.ग.शासन रायपुर ।
2. सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर ।
3. महालेखाकार, छ.ग. ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक..... (छ.ग.) ।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा छ.ग. शासन, रायपुर ।
6. समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी (छ.ग.) ।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)